न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/07/2024	2024/07	31–01–2024	24–07–2024

1. प्रेमचन्द पुत्र रामजीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम केसरोली तहसील रामगढ जिला अलवर (राजस्थान)।
2. अशोक कुमार पुत्र रामजीलाल जाति ब्राह्मण काश्तकार ग्राम केसरोली तहसील रामगढ जिला अलवर।

–अपीलान्टान

बनाम

1. अभयनन्दन पुत्र रामगोपाल।
2. गौरीशंकर पुत्र रामगोपाल (मृतक)।
   2/1 विजय कुमार पुत्र गौरीशंकर जाति ब्राह्मण हाल निवासी फ्रिन्टीयर कॉलोनी, गली नं0 1 मकान नंबर 3 मन्नाका रोड़ अलवर।
   2/2 राजकुमार उर्फ रिंकू पुत्र गौरीशंकर जाति ब्राह्मण हाल निवासी फ्रिन्टीयर कॉलोनी, गली नं0 1 मकान नंबर 3 मन्नाका रोड़ अलवर।
   वारिसान काबिज जायदाद गौरीशंकर पुत्र रामगोपाल जाति ब्राह्मण (मृतक)।
3. महावीर पुत्र रामगोपाल।
4. मु0 किशोरी देवी स्त्री रामगोपाल (मृतक)।
5. रमेशचन्द पुत्र रामगोपाल जातियान ब्राह्मण निवासीयान केसरोली तह0 रामगढ़ जिला अलवर राज0 राज0 (मृतक)।
   5/1 जयप्रकाश पुत्र रमेश चन्द जाति ब्राह्मण निवासी केसरोली तह0 रामगढ़ जिला अलवर।
   5/2 सत्यनारायण पुत्र रमेश चन्द जाति ब्राह्मण निवासी केसरोली तह0 रामगढ़ जिला अलवर।
   5/3 अजय शर्मा पुत्र रमेश चन्द जाति ब्राह्मण निवासी केसरोली तह0 रामगढ़ जिला अलवर।
   वारिसान काबिज जायदाद रमेशचन्द पुत्र रामगोपाल जाति ब्राह्मण (मृतक)।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ़ जिला अलवर, राजस्थान।

– रेस्पाडेन्टान

अपील विरूद्व तहसीलदार(भू0अ0) रामगढ इंतकाल सं0 483 दिनांक 27.12.2001 वाके ग्राम केसरोली ।

उपस्थितः–
1.श्री नरेश चौधरी। –वकील अपीलान्ट

अतिरिक्त जिला कलक्टर अलवर (सील)

–: निर्णय :–

अपीलान्टान ने यह अपील तहसीलदार रामगढ के आदेश दिनांक 27.12.2001 इंतकाल संख्या 483 वाके ग्राम केसरोली तहसील अलवर जिला अलवर स्वीकार किया गया, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। वकील अपीलान्टान के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्टान ने मु0 किशोरी देवी बेवा रामगोपाल व रमेश, गौरीशंकर व महावीर प्रसाद, अभय नन्दन पुत्रान रामगोपाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम केसरोली तहसील रामगढ जिला अलवर के हकूक कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 29 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा सालिम व आराजी ख0नं0 278 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा का 1/2 निस्फ हिस्सा कुल किता 2 रकबा 0.8535 है0 वाके ग्राम केसरोली तहसील रामगढ को जरिये बयनामा तारीख 25.07.2000 को खरीद की है व उक्त बयनामा उप पंजीयक महोदय रामगढ से तारीख 28.11.2000 को तस्दीक पंजीबद्व किया गया है। बाद खरीद हम अपीलान्टान उक्त आराजी पर नेक नियती से

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

काबिज दखिल है। हम अपीलान्टान यह समझे हुये थे कि उक्त इन्तकाल बय उक्त आराजी जो खरीद की है सही प्रकार से दर्ज व तस्दीक किया गया व इन्तकाल बय के तहत कागजात माल में उक्त आराजी के बाबत हम अपीलान्टान के नाम अमल दरामद हो गया है। हम अपीलान्टान ने तारीख 10.12.2023 को उक्त आराजी खसरा नं0 साबिक 29 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा हाल खसरा नं0 53 रकबा 0.49 है0 कायम हुआ है व अपीलान्टान खरीदकर्दा आराजी पर लोन लेने बैंक में गये तो बैंक के अधिकारी ने हम अपीलान्टान को उक्त आराजी पर लोन इसलिए नहीं दिया कि आराजी खसरा नं0 हाल 53 रकबा 0.49 है0 में हम अपीलान्टान का 1/2 हिस्सा में इन्तकाल नं0 483 में दर्ज व स्वीकार किया है, जबकि हम अपीलान्टान ने उक्त आराजी खसरा नं0 साबिक 29 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा हाल खसरा नंबर 53 रकबा 0.49 है0 सालिम खरीद किया है, लेकिन इन्तकाल बय उक्त आराजी 1/2 हिस्से का दर्ज हुआ है, जिससे हम अपीलान्टान ने तारीख 13.12.2023 को उक्त इन्तकाल बय की नकल लेने के लिए प्रार्थना–पत्र पेश किया, जिस पर नकल इन्तकाल तारीख 14.12.2023 को मिली नकल इन्तकाल बय मिलने पर वकील से सलाह व मशवरा लिया, जिन्होंने अपील दायर करने के लिए कहा। जिससे हम अपीलान्टान ने रूपये पैसे का इन्तजाम किया जिससे आज यह अपील बिला देरी के पेश है जिस बाबत प्रार्थना–पत्र जेर दफा 05 कानून मियाद अधिनियम का मय शपथ पत्र अलग से पेश है। तजबीज तहत अदालत मातहत तहसीलदार (भू0अ0) रामगढ जिला अलवर तजबीज अदालत मातहज बेजा व खिलाफ मंशाय कानून व खिलाफ रूपएदार मिसल व खिलाफ रिकॉर्ड होने से काबिल मंसुखी है। हम अपीलान्टान ने मु0 किशोरी बेवा रामगोपाल व रमेश, गौरीशंकर, महावीर प्रसाद, अभयनन्दन पुत्रान रामगोपाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम केसरोली तहसील रामगढ के हकूक कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नं0 साबिक 29 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा सालिम व आराजी खसरा नं0 278 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा का 1/2 निस्फ हिस्सा कुल किता 2 रकबा 0.8535 हैक0 वाके ग्राम केसरोली तहसील रामगढ को जरिये बयनामा तारीख 25.07.2000 को खरीद की है व उक्त बयनामा उप पंजीयक महोदय रामगढ से तारीख 28.11.2000 को तस्दीक पंजीबद्व किया गया है। बाद खरीद हम अपीलान्टान उक्त आराजी पर नेक नियती से काबिज दखिल है। तहत अदालत ने गलत तरीके पर उक्त इन्तकाल नं0 483 में आराजी खसरा नं0 29 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम केसरोली तहसील रामगढ का निस्फ हिस्से का इन्तकाल बय हम अपीलान्टान के नाम दर्ज व स्वीकार किया है, जबकि हम अपीलान्टान ने उक्त आराजी सालिम खरीद की थी व तहत अदालत को हम अपीलान्टान के पक्ष में आराजी खसरा नं0 29 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम केसरोली तहसील रामगढ का सालिम का इन्द्राज दर्ज व स्वीकार किया जाना चाहिये था। अपीलान्टान आराजी खसरा नं0 29 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम केसरोली तहसील रामगढ हाल खसरा नं0 53 रकबा 0.49 हैक0 कायम हुआ है, सालिम पर नेक नियती से काबिज दखिल है व हम अपीलान्टान को इस आराजी मुतनाजा के बाबत हर किस्म के हकूक कायम खातेदारी प्राप्त है, लेकिन तहत अदालत ने उक्त आराजी का इन्तकाल बय निस्फ हिस्से का गलत तरीके पर हम अपीलान्टान के पक्ष में दर्ज व स्वीकार किया है। उक्त इन्तकाल बय नंबर 483 साबिक आराजी खसरा नं0 29 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम केसरोली तहसील रामगढ जिसके हाल खसरा नं0 53 रकबा 0.49 है0 कायम हुये है, इन्तकाल के तहत कागजात माल में इसी प्रकार का अमल हुआ है जो गलत है, जबकि हम अपीलान्टान ने उक्त साबिक आराजी खसरा नं0 29 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम केसरोली तहसील रामगढ जिसके हाल खसरा नं0 53 रकबा 0.49 है0 सालिम खरीद किया है, जैसा कि बयनामे में साफ अंकित किया है। चूंकि हम अपीलान्टान ने साबिक आराजी खसरा नंबर 29 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम केसरोली तहसील रामगढ सालिम जरिये बयनामा उक्त बायान से खरीद किया है। अतः अपील अपीलान्टान मंजूर फरमायी जाकर तजबीज अदालत मातहत आज्ञा दिनांक 27.12.2001 व इन्तकाल बय नंबर 483 साबिक आराजी खसरा नं0 29 रकबा 1 बिघा 19 बिस्वा वाके ग्राम केसरोली तहसील रामगढ में हम अपीलान्टान का 1/2 हिस्से का दर्ज व तस्दीक किया है व इसी आधार पर रेवेन्यू रिकॉर्ड में अमल किया गया है, उसके स्थान पर साबिक आराजी खसरा नं0 29 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम केसरोली तहसील रामगढ हाल खसरा नंबर 53 रकबा 0.49 है0 सालिम आराजी का इन्तकाल बय हम अपीलान्टान के पक्ष में दर्ज व स्वीकार किया जावे व रेवेन्यू रिकॉर्ड में इसी प्रकार का अमल दरामद कराया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.12.2001 के विरूद्व दिनांक 31.01.2024 को पेश की गयी है जो करीब 22 वर्ष के विलम्ब से पेश की गई है। फिर भी माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

नरमी का रूख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है। पत्रावली पर उपलब्ध बयनामा मय दस्तावेजात का अवलोकन किया गया जिसमें आराजी खसरा नंबर 29 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा का पूर्ण भाग प्रार्थीगण द्वारा खरीद किया गया है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण संख्या 483 दर्ज व स्वीकार करते समय विवादित आराजी का 1/2 हिस्सा ही अपीलान्टान के नाम स्वीकार किया गया है, जो एक विधिक त्रृटि है। अतः अपील में वर्णित कथनों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ का आदेश दिनांक 27.12.2001 इंतकाल संख्या 483 वाके ग्राम केसरोली तहसील रामगढ़ निरस्त किया जाता है तथा अपील अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है, कि अपीलान्ट के बयनामा व दस्तावेजात का भली-भांति अवलोकन कर नियमों के आलोक में पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय के मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)